केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

CBSE/Direct Admission-X/XII/2025/ **28/08/2025**

सीबीएसई से संबद्ध
प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: कक्षा 10 और 12 में सीधे प्रवेश और विषय परिवर्तन के लिए अंतिम तिथि का कड़ाई से पालन करना

महोदया/महोदय,

आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आयोजित करना सीबीएसई, स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, स्कूल स्टाफ, अभिभावकों और छात्रों की जिम्मेदारी है।

परीक्षाओं के संचालन से जुड़ी विभिन्न तैयारी प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन और समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी संबद्ध विद्यालय और हितधारक बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित समय-सीमाओं और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

इस संदर्भ में, कक्षा X और XII में सीधे प्रवेश और विषय परिवर्तन के अनुरोधों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

1. सीधा प्रवेश

क्र.सं.	**गतिविधि**	**समय सारिणी**
1.	स्कूलों द्वारा कक्षा X/XII में छात्रों का सीधा प्रवेश	**31 अगस्त, 2025 तक**
2.	विद्यालयों को उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों के साथ सभी प्रवेश मामलों को सारणीबद्ध रूप में संकलित करना होगा (कक्षा X और कक्षा X के लिए अलग-अलग)।	इसे हरकारा के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए ताकि यह **2 सितंबर, 2025** तक पहुंच जाए।
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों, सीबीएसई द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की अंतिम तिथि	**15 सितंबर, 2025**
4.	यदि अभिभावक सरकारी कर्मचारी हैं और उनका स्थानांतरण हो गया है, तो 31 अगस्त के बाद सीधे प्रवेश की स्थिति में।	इसे हरकारा के माध्यम से प्रवेश के **2 दिनों** के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

2. विषय परिवर्तन

क्र.सं.	**गतिविधि**	**समय सारिणी**
1.	स्कूलों द्वारा कक्षा X/XII के छात्रों के विषय परिवर्तन के अनुरोध	**31 अगस्त, 2025 तक**

2.	विद्यालयों को उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों के साथ सभी प्रवेश मामलों को सारणीबद्ध रूप में संकलित करना होगा (कक्षा X और कक्षा XII के लिए अलग-अलग)।	इसे हरकारा के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए ताकि यह **2 सितंबर, 2025** तक पहुंच जाए।
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों, सीबीएसई द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की अंतिम तिथि	**15 सितंबर, 2025**

सभी मामलों की प्रक्रिया सीबीएसई द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।

जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई द्वारा 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं और ये भी 01.09.2025 से कार्य करना शुरू कर देंगे। तथापि, प्रत्यक्ष प्रवेश और विषय परिवर्तन से संबंधित कोई भी मामला अब नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाएगा।

नया क्षेत्रीय कार्यालय	मूल क्षेत्रीय कार्यालय
लखनऊ	प्रयागराज
गुरुग्राम	पंचकुला
रांची	पटना
रायपुर	भुवनेश्वर

नए क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा, सीबीएसई ने गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन अगरतला, इटानगर और गंगटोक में तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए हैं। इन तीनों उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के 2025-26 सत्र के लिए सीधे प्रवेश और विषय परिवर्तन संबंधी मामले भी गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएंगे।

कक्षा X/XII के लिए उम्मीदवारों की सूची एलओसी के अनुवर्ती कार्रवाई के सभी कार्य, बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अनुसार, अनुलग्नक-क में सूचीबद्ध नवगठित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए जाएंगे।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि 31 अगस्त 2025 के बाद विद्यालयों द्वारा प्रत्यक्ष प्रवेश या विषय परिवर्तन के किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

तदनुसार, प्रधानाचार्य/संस्थानों के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि सभी प्रवेश और विषय संबंधी परिवर्तन बोर्ड के मानदंडों के अनुसार और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो जाएं।

हस्ता/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

नीचे दिए गए अनुसार संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को इसकी प्रति भेजी जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों को यह जानकारी प्रसारित करें और उन्हें एलओसी डेटा सही और समय पर प्रस्तुत करने का निर्देश दें:

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309।
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सचिव, सैनिक स्कूल सोसाइटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001।
5. नौसेना शिक्षा सोसायटी (एनईएस), नौसेना शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक वी, विंग II, दूसरी मंजिल, आरके पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066।
6. चेयरमैन, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, न-1/9, नियर दूरदर्शन केंद्र, पो सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर ओडिशा-751005.
7. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
8. लोक शिक्षा निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
9. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
10. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार के विद्यालय शिक्षा निदेशक इटानगर- 791111.
11. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
12. निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, द्वितीय मंजिल, सिविल सचिवालय, लेह-लद्दाख।
13. निदेशक, विद्यालय शिक्षा निदेशालय, पुडुचेरी सरकार, ए ब्लॉक, प्रथम मंजिल, पेरुंथलाइवर कामराज शताब्दी शैक्षणिक परिसर, 100 फीट रोड, अन्ना नगर, पुडुचेरी 605 005
14. निदेशक, संभोटा तिब्बतन स्कूल्स सोसायटी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश.
15. ग्रुप कैप्टन शिक्षा (स्कूल) शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-VI, वायु मुख्यालय (आरकेपी), आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066।
16. सचिव, एडब्लूईएस, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना), एफडीआरसी भवन संख्या 202, शंकर विहार (एपीएस के निकट), दिल्ली कैंट-110010
17. अध्यक्ष के उप सचिव, अध्यक्ष, सीबीएसई की सूचना के लिए।
18. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष।
19. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्यों को भेजें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएं ताकि सभी विद्यालयों द्वारा समय पर एलओसी भरी जा सके।
20. वेब एडमिन से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सीबीएसई वेबसाइट पर डाल दें।
21. मीडिया एवं जनसंपर्क, सीबीएसई उचित प्रसार एवं प्रचार के लिए।

अनुलग्नक–क

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/क्षेत्र शामिल हैं
1.	अजमेर	गुजरात और राजस्थान
2.	भुवनेश्वर	ओडिशा और पश्चिम बंगाल
3.	चंडीगढ़	पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
4.	दिल्ली पूर्व	पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली शाहदरा
5.	पुणे	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली
6.	गुवाहाटी	असम, नागालैंड. मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम
7.	पंचकुला	अम्बाला, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र। पंचकुला, सिरसा और यमुनानगर और हिमाचल प्रदेश
8.	बेंगलुरु	कर्नाटक
9.	भोपाल	मध्य प्रदेश
10.	चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
11.	नोएडा	आगरा, अलीगढ, अमरोहा, बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज/काशीराम नगर, मथुरा, मेरठ और संभल
12.	पटना	बिहार
13.	प्रयागराज	अम्बेडकर नगर, आज़मगढ़, बलिया, बस्ती, भदोही, चंदौली, चित्रकुट, देवरिया, ग़ाज़ीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कौशांबी, कुशी नगर, महराजगंज, मऊ, मीरजापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी
14.	त्रिवेन्द्रम	केरल और लक्षद्वीप
15.	देहरादून	उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के जिले –बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर और शामी
16.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
17.	दिल्ली–पश्चिम	पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और मध्य दिल्ली
18.	गुरूग्राम	भिवानी, चरखी दादरी, फ़रीदाबाद, गुरूग्राम, झज्जर, महेंद्रगढ़, नूंह, पानीपत, रेवाडी, रोहतक, सोनीपत और पलवल
19.	लखनऊ	अमेठी, औरैया, अयोध्या, बहराईच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, इटावा, फरुखाबाद, फ़तेहपुर, फ़िरोज़ाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मोहबा, मैनपुरी, पीलीभीत, रायबरेली, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव
20.	रायपुर	छत्तीसगढ़
21.	रांची	झारखंड